38/2014

बजरंग सिंह लटवाल / बनsystem
बाजरायणी प्रा० लि०

9/4/26

उक्त पत्र के वकील उपा वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया है। सीधे ही सुनवाई का निवेदन किया। उभय पक्ष के वकीलों को प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र तथ्यों से गैरदाखिल है कथन किया कि उनवलिल वाद दिनांक 9/12/2014 को दक्षता अधिनियम की धारा में खारिज कर दिया गया। करवन्त सिंह के जन्म आधार वाली अधिवाषद अन्य न्यायालय में बहस में करते होने के कारण एक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए। अधिवाषद वादी द्वारा वादी को दृढ़ रखवा कि वे तारीख पेशी का याद लेंगे वादी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ना तो वादी एवं ना ही उनके अधिवाषद न्यायालय में उपस्थित हो पाए। वादी एवं उनके अधिवाषद की अनुपस्थिति का कारण एवं पर्याप्त कारण रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिया जावे के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने पर न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद / प्रकरण को पुराने नंबर पर लिया जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र की फैसल होकर मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी किया जावे। पत्रावली फैसल बुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर